न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक), झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 29/2025

सुशीला वगैरह बनाम परमेश्वरी वगैरह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी व आदेश 22 नियम 3 एवं धारा 151 सीपीसी बाबत् रिस्टोर किये जाने वाद पत्र एवं प्रतिस्थापित किये जाने विधिक वारिसान उनवानी वाद मनकोरी देवी बनाम परमेश्वरी वगैरह, बमुकदमा नम्बर 609/2024 दावा बाबत् विभाजन, रिकॉर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

एडवोकेट प्रार्थीगण – श्री राजेश बागोरिया
एडवोकेट अप्रार्थीगण – अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से बनवारीलाल

आदेश

दिनांक 02.06.26

प्रार्थी/वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी व आदेश 22 नियम 3 एवं धारा 151 सीपीसी बाबत् रिस्टोर किये जाने वाद पत्र एवं प्रतिस्थापित किये जाने विधिक वारिसानउनवानी याद मनकोरी देवी बनाम परमेश्वरी वगैरह, बमुकदमा नम्बर 609/2024 दावा बाबत् विभाजन, रिकॉर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थिगण की माता मनकोरी देवी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के समक्ष एक बाद विभाजन रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया था। तहसील गुढागौड़जी को उपखण्ड झुंझुनूं में सम्मिलित करने पर तहसील क्षेत्र गुढागौड़जी की पत्रावलियां न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं में स्थानान्तरित कर दी गई थी। तत्पश्चात् दिनांक 29.09.2023 को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के द्वारा पत्रावली उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी से स्थानान्तरित होकर उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं में दर्ज रजिस्टर की गई। इस बाद पत्रावली श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय झुंझुनूं के आदेश दिनांक 30.08.2024 की पालना में न्यायालय हाजा में सुनवाई हेतु दर्ज रजिस्टर की गई। मामले में दिनांक 13.02.2025 को वकील पक्षकारान अनुपस्थित होने की आदेशिका दर्ज है। इसके बाद दिनांक 29.07.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण की माता की ओर से प्रस्तुत वाद अनुपस्थिति में अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था। उक्त वाद अदम हाजरी में खारिज होने की सूचना प्रार्थीगण को दिनांक 05.08.2025 को हुई। इसके बाद प्रार्थीगण ने पत्रावली की प्रतिलिपि दिनांक 06.08.2025 को प्राप्त होने पर प्रार्थीगण को उक्त मामले की जानकारी हुई। वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम गुमाना का बास तन छऊ तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं में अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की माता मनकोरी देवी को अपने पिता रामनारायण से विरासत में प्राप्त हुई है। मनकोरी देवी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रकरण झुंझुनूं उपखण्ड पर सुनवाई हेतु हस्तान्तरित होने से पूर्व ही दिनांक 07.12.2022 को मनकोरी देवी की मृत्यु हो चुकी थी। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण उक्त उनवानी प्रकरण में वादिया के अधिवक्ता को भी नहीं थी तथा ना ही उक्त वाद के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण के बारे में कभी भी सूचना नहीं दी। वादिया मृतका मनकोरी देवी का ससुराल ग्राम सौंथली में है तथा वादिया मनकोरी देवी के वारिसान को मौजुदा वाद की कोई जानकारी नहीं थी तथा दिनांक 04.08.2025 को प्रार्थी संख्या 7 ने अपनी माता की

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

मृत्यु दिनांक 07.12.2022 को होने के बाद विशासतन फौतगी नामान्तरकरण दर्ज करवाने के लिए पटवारी हल्का छऊ से मिला तब पटवारी हल्का छऊ द्वारा अवगत करवाया गया कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के मुकदमा नं. 149/2019 दिनांक 02.07.2019 के आदेश से स्थगन को नोट लगा हुआ है। इसलिए फौतगी नामान्तरकरण दर्ज नहीं हो सकता। प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में प्रकरण की जानकारी की तब पता चला कि उक्त प्रकरण दिनांक 29.07.2025 को पक्षकारान की अनुपस्थिति में खारिज हो चुका है। अन्त में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी व आदेश 22 नियम 3 एवं धारा 151 सीपीसी बाबत रिस्टोर किये जाने वाद पत्र एवं प्रतिस्थापित किये जाने विधिक वारिसानउनवानी वाद मनकोरी देवी बनाम परमेश्वरी वगैरह, बमुकदमा नम्बर 609/2024 दावा बाबत विभाजन, रिकॉर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद संख्या 609/2024 उनवानी मनकोरी देवी बनाम परमेश्वरी वगैरह दावा बाबत विभाजन, रिकॉर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा को पुनः रिस्टोर किया जाकर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करे तथा प्रार्थीगण को वादिया मनकोरी देवी के स्थान पर बतौर वादीगण विधिक पक्षकारान प्रतिस्थापित किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलबाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 26 वाद तामिल अनुपस्थित। अप्रार्थीगण की तामिली विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्धि दिये जाने में उन्हें कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्ध आदेश 9 नियम 6 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 26 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से एडवोकेट बनवारी लाल सैनी ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि जबाव प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को विधि विरूद्ध होने से मय हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जाने का आदेश प्रदान करें।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया एवं बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी व आदेश 22 नियम 3 एवं धारा 151 सीपीसी बाबत रिस्टोर किये जाने वाद पत्र एवं प्रतिस्थापित किये जाने विधिक वारिसानउनवानी वाद मनकोरी देवी बनाम परमेश्वरी वगैरह, बमुकदमा नम्बर 609/2024 दावा बाबत विभाजन, रिकॉर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार फरमाया जाकर उक्त उनवानी दावा को पुनः नम्बर पर लिया जाकर विधिनुकुल निस्तारण किये जाने का आदेश फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस के दौरान कथन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस विद्वान अधिवक्तागण पर बगौर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी व आदेश 22 नियम 3 एवं धारा 151 सीपीसी बाबत रिस्टोर किये जाने वाद पत्र एवं प्रतिस्थापित किये जाने विधिक वारिसान को पोषणीय होने से स्वीकार किया जाकर मुकदमा नम्बर 609/2024

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

उनवान मनकोरी देवी बनाम परमेश्वरी वगैरह दावा बाबत् बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकॉर्ड दुरूस्ती को पुनः नम्बर पर लिया जाता है तथा उक्त उनवानी प्रकरण में वादिया मनकोरी की फौतगी उपरान्त उनके विधिक वारिसान को वादीगण के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं मुल वाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय आज दिनांक 02/04/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहाय[illegible].)
[illegible](राज.)